

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 27, मंगलवार, शाके 1948- अगस्त 18, 2026 Sravana 27, Tuesday, Saka 1948- August 18, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

अंतिम अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 17, 2026

(अतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 19 की उप-धारा (1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के नियम 21 के उप-नियम (1) के अधीन घोषणा)

संख्या प.2(02)नविवि/सीकर/2025 :-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 19 की उप-धारा (1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के नियम 21 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए राजस्थान राज्य के सीकर जिले के ग्राम गोकुलपुरा में "रीको से बीकानेर बाईपास तक मास्टर प्लान 2031 की 30 मीटर चौड़ी प्रस्तावित सड़क" का निर्माण करने हेतु कुल 0.0387 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए यह घोषणा की जाती है कि लोक प्रयोजन के लिए उपर्युक्त परियोजना हेतु राजस्थान राज्य के सीकर जिले के ग्राम गोकुलपुरा में "रीको से बीकानेर बाईपास तक मास्टर प्लान 2031 की 30 मीटर चौड़ी प्रस्तावित सड़क" का निर्माण करने हेतु कुल 0.0387 हेक्टेयर भूमि अवाप्ताधीन है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अवाप्त क्षेत्रफल (व.मी.)	अवाप्त क्षेत्रफल (है.क्टेयर)	कुल क्षेत्रफल (है.क्टेयर)	भू-स्वामी का नाम
1	सीकर	सीकर	गोकुलपुरा	2100/1814	निजी	बारा नी-1	387	0.0387	0.0387	कमला पुत्री भगवाना राम जाति जाट सा. देह

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण/अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 15 के प्रावधानों के तहत हितबद्ध व्यक्तियों/खातेदारों से उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में प्राप्त आपत्तियों को सुनने एवं जांच उनके निस्तारण कर एवं सरकार द्वारा अनुमोदित करने के उपरांत की गई है।

भू-अर्जन के कारण पुनर्वासन होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है।

कोयला, लौहा, पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खादानों के होने की स्थिति में उपरोक्त भूमि के किसी विशेष हिस्से जिनकी खानों और खनिज जिनको खोदा जाना आवश्यक हो सकता है कि ऐसे भागों को छोड़कर/निकालकर परियोजना के निर्माण चरण के दौरान भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी भूमि का ही अधिग्रहण किया जा सकता है।

प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण/अवलोकन भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास सीकर (राज.) के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

अथवा

उक्त परियोजना के पुनर्वासन योजना प्रस्ताव शून्य होने से प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों का पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित नहीं है, परियोजना रिपोर्ट का अवलोकन भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास सीकर (राज.) के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है।

आज्ञा से,

रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।